

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन एवं वन्य जीव प्रभाग, शाहजहांपुर।

पत्रांक 683/14-1

शाहजहांपुर,

दिनांक, 12/09/2023

सेवा में,

परियोजना निदेशक

भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,

परियोजना कार्यान्वयन इकाई बरेली,

282/01 ग्रेटर ग्रीन पार्क, विशप कॉनरोड स्कूल के पास बरेली।

विषय :-

जनपद शाहजहांपुर में हरदोई-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-731 किमी 88.750 से 123.650 तक चार लेन चौड़ीकरण कार्य में शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित 10.9075 हे० संरक्षित वन भूमि एवं 1262 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 152 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट सहित प्रस्ताव की कुल 12.1615 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति एवं कुल 1414 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लांट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन का पत्रांक-8वीं/यू०पी०/०६/३१५/२०२२/एफ०सी० /321 दिनांक 22-08-2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र जो अतिरिक्ति मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग उ०प्र० लखनऊ को सम्बोधित एवं इस कार्यालय तथा आपको प्रेषांकित है के क्रम में दिये गये निर्देशानुसार प्रकरण में वांछित सैद्धान्तिक स्वीकृति के बिन्दुओं की अनुपालन आख्यां 05 प्रतियों में पूर्ण कर इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

Condition No	Condition's	Status of Compliance
1	Legal status of the forest land shall remain unchanged.	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का बचन बढ़ता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि वन भूमि की वैधानिक स्थिति में उनके द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2	Compensatory afforestation shall be taken up by the Forest Department for plantation over an area of 25.0 hac degraded forest land (10.00 ha, in Rampur Chandra Saini Forest Block, 10.00 ha. In Bichola Forest Block & 05.00 hac. in Phairay Forest Block) Bah Range, District Agra at the cost of user agency. As for as practicable a mixture of local indigenous species will be planted and monoculture of a species has to be avoided.	-----
3	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey, demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the Forest Department by the project authority. The CA will be maintained for 10 year. The scheme will be for plantation and may include appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रश्नगत परियोजना में मार्ग चौड़ीकरण से प्रभावित संरक्षित वन भूमि क्षेत्रफल 12.1615 हे० भूमि के बदले आगरा वन प्रभाग की रामपुर चन्द्रसैनी वन ब्लॉक-10.00 हे०, बिचौला वन ब्लॉक-10.00 हे० व फरेरी वन ब्लॉक-5.00 हे० कुल 25.00 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य एवं रोपित पौधों का 10 वर्ष तक अनुरक्षण हेतु वॉछित धनराशि ₹०-3,06,68,500.0 (रु०-तीन करोड़ छः लाख अड़सठ हजार पाँच सौ मात्र) को ऑनलाइन ई-पोर्टल पर चालान के माध्यम कैम्पा खाते में जमा कर ऑनलाइन ई-रसीद की प्रति मूल में उपलब्ध करायी जाये।
4	The state Government shall charge the Net Present Value (NPV) for the 12.1615 ha. forest area to be diverted under this proposal from the user Agency as per the orders of the Honable Supreme Court of India dated 30/10/2002, 01/08/2003, 28/03/2008, 24/04/2008 and 09/05/2008 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by the Ministry vide letters No. 5-1/1998- (Pt.II) Dt. 18-09/2003, As well as letter No. 5-2/2006-FC Dt. 03/10/2006 and 5-3/2007- FC dated 05/02/2009. Revised amount of NPV as applicable as per order dated 06-01-2022 and 19-01-2022 shall be deposited by User Agency in this regard.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रभावित वन भूमि शाहजहांपुर वन प्रभाग के अन्तर्गत 10.9075 हे० एवं हरदोई वन प्रभाग के अन्तर्गत 1.2540 हे० कुल 12.1615 हे० का शुद्ध वर्तमान मूल्य @ 9.57780 लाख (नौ लाख सत्तावन हजार सात सौ अरसी मात्र) प्रति हे० की दर से रु० 1,16,48,042.0 (रु०-एक करोड़ सोलह लाख अड़तालिस हजार बयालिस मात्र) को ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा फण्ड में जमा की जायेगी।

5	Additional amount of the NPV of the diverted forest land, if nay becoming due after finalization of the sasme by the Honable Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the Satate Government from the User Agency. The User Agency shall an undertaking to this effect.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि भविष्य में यदि एन0 पी0 वी0 की दरों में राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई भी बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।
6	User Agency shall restrict the felling of trees to 144 trees/minimum number in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the state Forest Department and the Cost of Felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रकरण में प्रभावित 1414 पेड़ों में न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा एवं पेड़ों पर पातित शुल्क कार्यदायी संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।
7	The user agency to explore transplanting of trees consulation and guidance of Forest of Department and monitoring/assessment of success of such transplanted trees by Research Wing of Forest Department. The details and locations of such transplanted trees shall be submitted.	प्रयोक्ता अभिकरण प्रकरण में प्रभावित वृक्षों के किये गये प्रत्यारोपण के सम्वन्ध में पेड़ों का विवरण/ स्थान प्रस्तुत किया जायेगा जिससे वन विभाग एवं वन अनुसंधान द्वारा प्रत्यारोपण पौधों की सफलता का आंकलन किया जायेगा।
8	Road side plantation shall be raised by State Forest Department at the cost of User Agency and Scheme for roadside plantation shall be provided.	इस कार्यालय के पत्रांक 443/14-1 दिनांक 16-08-2023 के क्रम में प्रकरण में प्रभावित भूमि के अतिरिक्त मार्ग की पट्टी पर रिक्त पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण की उपलब्धता के सम्वन्ध में दिनांक 19-08-2023 की तिथि निर्धारित की गयी थी, जिसकी कार्यवाही आपके स्तर से लम्बित है। रिक्त पड़ी पट्टी का विवरण उपलब्ध कराये, जिससे पट्टी वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग की जा सके।
9	No Violation of Forest (Conservation) Act Certificate from concerned DFO shall be provided.	
10	The complete compliance of the FRA. 2006 shall be ensured by way of prescribed certificate from the concerned District Collector.	प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या-10 के क्रम में Complete compliance of the FRA. 2006 का प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगे।
11	Plantation shall be raised on both sides of the road and medium (if available) by the State Forest Department at the cost of User Agency as per submitted scheme according to IRC guidelines and order passed by NGT in OA no. 27/2015 in the matter of Babulal Jaju V/S State of Rajasthan and others Dated 16.11.2015	शर्त संख्या-8 के क्रम में अतिरिक्त मार्ग की पट्टी के साथ-साथ सड़क की मध्य पट्टी पर रिक्त पड़ी भूमि का विवरण उपलब्ध कराये ताकि उक्तानुसार वृक्षारोपण हेतु धनराशि की मांग की जा सके।
12	Speed regulating signage will be erected along the road at regular intervals in the Protected Areas/Forest areas.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में नियमिति अन्तराल पर सड़क के किनारे स्पीड रेग्युलेटिंग साइनेज लगाये जायेंगे।
13	The User agency shall provided suitable under/over pass in Protected Area/ Forest Area as per recommendation of CWLW/ NBWL / FAC/ REC.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि CNBWL / FAC / REC की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र /वन क्षेत्र में उपर्युक्त अण्डर पास बनाये जायेंगे।
14	User Agency shall obtain Environmantal clearance as per the provisions of the Environmantal (Protection) Act, 1986, if applicable.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति आवश्यक है या नहीं।
15	The layout plan of the proposal shall not be changed without prior approval of Central Government.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भारत सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना प्रस्ताव के ले-आउट प्लान में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।
16	No labour camp shall be established on the forest land.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
17	Sufficient firewood, preferably the alternate fuel. shall be provided by the User Agency to the labourer after purchasing the same from the State Forest Department or the Forest Development Corporation or any other legal source of alternate fuel.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि श्रमिकों के वैकल्पिक ईंधन आदि की व्यवस्था कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं की जायेगी।
18	The boundary of the diverted forest land shall be suitably demarcated on ground at the project cost, as per the directions of the concerned Divisional Forest Officer.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रभावित संरक्षित वन भूमि की सीमा तक प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर सीमांकन किया जायेगा।
19	No additional or new path will be constructed inside the forest area for transportation of construction materials for execution of the project work.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री आदि के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त अथवा नवीन पथ का निर्माण नहीं किया जायेगा।

20	The period of diversion under this approval shall be co-terminus with the period of lease to be granted in favour of the user agency of the project life, whichever is less.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि परियोजना की अवधि, प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में दी जाने वाली पट्टे की अवधि जो भी कम हो पर लागू होगा।
21	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्ताव में निर्दिष्ट उद्देश्य के अलावा वन भूमि का उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
22	The forest land proposed to be diverted shall under no circumstances be transferred to any other agencies, department or person without prior approval of Govt. of India.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
23	The KML file of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before commencement of works.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि डायवर्ट किये जाने वाले सी0ए0 एरीया एवं अन्य के0एम0एल0 फाइन ई-ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किये जायेंगे।
24	Any order of temporary work permission in case of linear projects for tree cutting and commencement of work as per clause 11.2 of FCA Guidelines shall be passed under intimation to Nodal Officer and this office. Order of Temporary Work permission have to be uploaded on Parivesh Portal as well. Nodal officer will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता अभिकरण को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि शर्त सं0-24 में दिये गये निर्देशों का उनके द्वारा पालन किया जायेगा तथा आस्थाई कार्यादेश निर्गत होने की तारीख से 01 वर्ष की समाप्ति के बाद ऐसी अनुमति के तहत कोई ओर गतिविधि नहीं की जायेगी।
25	Violation of any of these conditions will amount to violation of Forest (Conservation) Act. 1980 and action would be taken as per the MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018.	प्रयोक्त अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उक्त शर्तों का उल्लंघन होने पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 का उल्लंघन माना जायेगा एवं MoEF&CC Guideline F. No. 11-42/2017-FC dt 29/01/2018 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
26	Any other condition that the Ministry of Environment, Forest & Climate may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forest & wildlife.	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा संरक्षण/सुरक्षा एवं विकास से सम्बंधित शर्त प्रयोक्ता एजेंसी को मान्य होगी।
27	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred/deposited to CAMPA fund only through e-portal (http://parivesh.nic.in)	उक्त सभी निधियां कार्यदायी संस्था द्वारा कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर जमा की जायेगी।
28	The compliance report shall be uploaded on e-portal (http://parivesh.nic.in)	कार्यदायी संस्था द्वारा इस आशय का वचन बद्धता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि प्रकरण में वांछित समस्त बिन्दुओं पर चाही गयी अनुपालन आख्या कैम्पा फण्ड के ई-पोर्टल पर उनके द्वारा अपलोड की जायेगी।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शहजहापुर।

पत्रांक / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।

2- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक वन एवं वन्यजीव बरेली वृत्त बरेली।

3- प्रभागीय निदेशक, हरदोई वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रकरण में अपने प्रभाग से वांछित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या कार्यालय को उपलब्ध कराये।

(प्रखर गुप्ता)
प्रभागीय वनाधिकारी,
वन एवं वन्य जीव प्रभाग,
शहजहापुर।